

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल,

पी.एच.ई.खण्ड, चौपासनी योजना, जोधपुर ।

क्रमांक : आ.अ./पी.एच.ई./जो/18-19/५५

दिनांक: 14.5.18

**निविदा सूचना संख्या -01/2018-19**


राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड की ओर से निम्नलिखित निर्माण आपूर्ति कार्यो हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सील बंद निविदाएं मण्डल में पंजीकृत ठेकेदारों से नये नियमानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 28.5.2018 से 12.06.2018 तक सांय 5.00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 13.06.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन सांय 3.00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। मण्डल में पंजीकृत ठेकेदारों से आधा प्रतिशत धरोहर राशि का पे-आर्डर आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, पी.एच.ई.खण्ड, जोधपुर के पक्ष में देय होगा तथा निविदा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण की सत्यापित छायाप्रति, जी.एस.टी. एवं अन्य पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी तथा धरोहर राशि हेतु पे-आर्डर देने के पश्चात् ही निविदा प्रपत्र जारी किये जायेंगे।

उपरोक्त तिथियों में यदि कोई राजकीय अवकास हो तो अगले कार्य दिवस की तिथि निविदा बेचने/प्राप्त करने की मानी जायेगी। निविदादाता की योग्यता का आकंलन निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी या समस्त निविदाओ को निरस्त कर सकेगा।

क. स.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा शुल्क (रु.)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	फलोदी फेस प्रथम व द्वितीय में जल प्रदाय योजना के रख रखाव एवं संधारण का कार्य (जल आपूर्ति)।	2.75	5500/-	590/-	12 माह
2	उघान अपार्टमेन्ट (G+3) चौपासनी योजना में जल प्रदाय योजना के रख रखाव एवं संधारण का कार्य (जल आपूर्ति)।	2.75	5500/-	590/-	12 माह

नियम व शर्तें: -

1. राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्य निधि एवं जी.एस.टी. अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार दायित्व ठेकेदारों को वहन करना होगा ।
2. तार द्वारा भेजी गई निविदा मान्य नहीं होगी ।
3. निविदा शुल्क मनीऑर्डर द्वारा भेजा गया मान्य नहीं होगा ।
4. निविदा की अन्य शर्तें निविदा प्रपत्रानुसार ।
5. सशर्त निविदाएं स्वीकार्य नहीं होगी ।
6. कं.स. 1 एवं 2 हेतु जलप्रदाय योजना न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव वाली फार्म ही मान्य होगी।
7. निविदा की नियम व शर्तें एवं अन्य विस्तृत विवरण मण्डल की वेबसाइट [www.rhbonline.rajasthan.gov.in/sppp.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in/sppp.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

  
आवासीय अभियन्ता  
राजस्थान आवासन मण्डल  
पी.एच.ई. खण्ड,, जोधपुर ।